न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास ओम प्रकाश शर्मा, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या - 17/18

1. पेमाराम
2. लेखराज } पुत्रगण नानूराम
3. गोपीराम

जाति जाट निवासीगण ग्राम पटवारी का बास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल आबाद ग्राम खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

—वादीगण/प्रार्थीगण

ब ना म

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर

—प्रतिवादी/अप्रार्थी

उपस्थिति—

1. श्री सुरेन्द्रपाल धायल वादीगण/प्रार्थीगण की ओर से

दावा बाबत रिकार्ड दुरूस्ती एवं नक्शा दुरूस्ती

निर्णय दिनांक— 01.05.2018

1. वाद/प्रार्थना पत्र के संक्षित में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमियां खसरा नंबर 4331/1745 रकबा 1.37 है0 वाके ग्राम खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। दावे की मद सं. 1 में दर्ज भूमि के गत खसरा नंबर 1745 रकबा 1.78 है0 थे जिसको प्रार्थीगण/वादीगण ने श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, सीकर के यहां कृषि से अकृषि में आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन हेतु 0.12 है0 आवेदन करने पर दिनांक 30.10.2004 को आदेश क्रमांक 3629—34/राजस्व के तहत संपरिवर्तन हेतु आदेश कर दिया गया। हल्का पटवारी द्वारा जरिये ना.करण सं. 1194 दिनांक 30.07.2007 के तहत दावे की मद सं0 2 में दर्ज संपरिवर्तन आदेश का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रकबा 0.12 है0 किस्म गैर मुमकिन आबादी व 1.25 है0 कृषि हेतु कर दिया, परन्तु उक्त भूमियों को नक्शे में तरमीम नहीं किया जाकर संयुक्त रूप से एक खातेदारी में रख दी जबकि रकबा कम किया जाता है तो उसको नक्शे में तरमीम किया जाना आवश्यक है परन्तु हल्का द्वारा रकबा तो अलग अलग कर दिया परन्तु नक्शे में तरमीम नहीं किया और न ही खसरा नम्बर अलग अलग किये गये जो विधि अनुसार किया जाना आवश्यक था। प्रार्थीगण/वादीगण ने दिनांक 30.10.2004 को श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, सीकर में अपनी खातेदारी भूमि में से संपरिवर्तन करवाया था उक्त संपरिवर्तन आदेश के साथ नक्शा

उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ

Scanned by CamScanner

संलग्न है उक्त नक्शा में भूमि संपरिवर्तनशुदा को अलग दर्शा रखा है परन्तु हल्का पटवारी के द्वारा नक्शे के अनुसार बट्टा नम्बर अंकित न करके नक्शे में तरमीम नहीं किया जो कि विधिनुसार किया जाना आवश्यक था। संपरिवर्तन आदेश दिनांक 30.10.2004 के अनुसार गत खसरा नंबर 1745 वर्तमान खसरा नं. 4331/1745 रकबा 1.37 है0 जिसका जमाबंदी में रकबा 0.12 है0 किस्म गैर मुमकिन आबादी व 1.25 है0 कृषि भूमि का अलग अलग नम्बर डालकर नक्शे में तरमीम कर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थीगण/ वादीगण को उक्त हल्का पटवारी के द्वारा की गई गलती की जानकारी दिनांक 20.04.2018 को होने के कारण वाद कारण उत्पन्न होकर वाद माननीय न्यायालय में पेश किया जाना आवश्यक हुआ है। दावा में वर्णित विवादास्पद कृषि आराजियात वाके ग्राम खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है इसलिए वाद सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को हासिल है। अंत में यह इश्तदुआ चाही है कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी डिकी फरमाया जाकर वाद पत्र की मद सं. 1 में वर्णित संपरिवर्तन आदेश दिनांक 30.10.2004 के अनुसार वाके ग्राम खाटूश्यामजी प. मं. खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की तन में भूमि गत खसरा नंबर 1745 वर्तमान खसरा नंबर 4331/1745 रकबा 1.37 है0 जिसका जमाबंदी में रकबा 0.12 है0 किस्म गैर मुमकिन आबादी व 1.25 है0 कृषि भूमि का अलग अलग नम्बर डालकर नक्शे में तरमीम कर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जाना प्रार्थनीय है।

2. वाद पत्र /आवेदन पेश होने पर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलवाना तलब किया गया। प्रतिवादी बावजूद तामील असालतन अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार, दांतारामगढ से कैम्प खाटूश्यामजी में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर द्वारा पत्रांक भूअ/18/15 दिनांक 01.05.2018 के द्वारा रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम खाटूश्यामजी के खसरा नंबर 4331/1745 रकबा 1.37 है0 में 0.12 है0 गै0मु0आबादी व 1.25 है0 बारानी दर्ज हुआ जबकि सहवन से 0.12 है0 गै.मु. आबादी व 1.25 है. बारानी ए भूमि का अलग बट्टा नम्बर दर्ज नहीं किया गया। अतः श्रीमानजी खसरा नंबर 4331/1745 रकबा 1.37 है0 रकबा 0.12 है0 गै.मु.आबादी व 1.25 है0 बारानी ए के स्थान पर ख.नं. 4332/1745/1 रकबा 1.25 है0 बारानी ए व खसरा नं. 4332/1745/2 रकबा 0.12 है0 गै.मु. आबादी दर्ज किये जाने बाबत रिपोर्ट पेश है।

3. हमने प्रार्थीगण के योग्य अभिभाषक की बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराया।

4. हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया। ग्राम खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की जमाबंदी संवत् 2071–74 खाता सं. 266 के खसरा नंबर 4331/1745 रकबा 1.37 है0 की खातेदारी गोपीराम लेखराम पि. नानूराम हि. 1/2 पेमाराम पुत्र नानूराम हि. 1/2 जाति जाट

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

के नाम 0.12 है0 गै.मु.आबादी व 1.25 है0 बारानी दर्ज है जो पूर्व में खातेदारी गोपीराम, पेमाराम, सुवालाल, लेखराम पि. नानूराम खसरा नम्बर 1745 रकबा 1.25 है. बारानी व 0.12 है0 गै.मु.संपरिवर्तन आबादी दर्ज रही है। तहसीलदार, दांतारामगढ के द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार, दांतारामगढ की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम खाटूश्यामजी के खसरा नंबर 4331/1745 रकबा 1.37 है0 में 0.12 है0 गै0मु0आबादी व 1.25 है0 बारानी दर्ज हुआ जबकि सहवन से 0.12 है0 गै.मु. आबादी व 1.25 है. बारानी ए भूमि का अलग बट्टा नम्बर दर्ज नहीं किया गया। अतः श्रीमानजी खसरा नंबर 4331/1745 रकबा 1.37 है0 रकबा 0.12 है0 गै.मु.आबादी व 1.25 है0 बारानी ए के स्थान पर ख.नं. 4332/1745/1 रकबा 1.25 है0 बारानी ए व खसरा नं. 4332/1745/2 रकबा 0.12 है0 गै.मु. आबादी दर्ज किये जाने बाबत रिपोर्ट पेश है। अतः तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर की रिपोर्ट अनुसार ग्राम खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के खसरा नंबर 4331/1745 रकबा 1.37 है0 रकबा 0.12 है0 गै.मु.आबादी व 1.25 है0 बारानी ए के स्थान पर ख.नं. 4332/1745/1 रकबा 1.25 है0 बारानी ए व खसरा नं. 4332/1745/2 रकबा 0.12 है0 गै.मु. आबादी राजस्व अभिलेख में दुरूस्त एवं नक्शा ट्रेश में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है शेष मुताबिक जमाबंदी रहेंगें। तदनुसार राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने हेतु तहरीर जारी हो।

5. यह आदेश आज दिनांक 01.05.2018 न्याय आपके द्वार–2018 कैम्प खाटूश्यामजी में लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

01/05/18

(ओम प्रकाश शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner